



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07022026-269917
CG-DL-W-07022026-269917

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4]	नई दिल्ली, फरवरी 1—फरवरी 7, 2026, शनिवार/माघ 12—माघ 18, 1947
No. 4]	NEW DELHI, FEBRUARY 1—FEBRUARY 7, 2026, SATURDAY/MAGHA 12—MAGHA 18, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में डिपो प्रबंधक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, डिपो प्रबंधक, समूह “ख” पद, भर्ती नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्हरता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियारतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम.	पद की संख्या.	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिपो प्रबंधक	04* (2026) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली-01; केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद- 01; केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकाता-01 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई-01; *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100- 167800 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत अभ्यर्थियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 ₹.) में ऐसे सहायक डिपो प्रबंधक श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने प्रशासन में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण: जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी अर्हक या पात्रता सेवाओं के आधे से अधिक या दो साल से अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से कम न हों, जो भी कम हो और अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- - निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - अध्यक्ष; - अपर उप महानिदेशक (मुख्यालय)/ अपर निदेशक (मुख्यालय) - सदस्य; - उप सचिव और अवर सचिव (प्रशासन), केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. A-12018/01/2015-CGHS-I]

गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Central Government Health Scheme Division)**

New Delhi, the 27th January, 2026

G.S.R. 12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Depot Manager, in the Central Government Health Scheme Organisation, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Depot Manager, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Depot Manager.	4* (2026) Central Government Health Scheme, Delhi -01 Central Government Health Scheme, Hyderabad – 01 Central Government Health Scheme, Kolkata -01 Central Government Health Scheme, Mumbai - 01 * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: Assistant Depot Manager in the level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) with two years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in administration. Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility services, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director, Central Government Health Scheme -Chairman ; 2. Additional Deputy Director General (Headquarter) / Additional Director (Headquarter) -Member ; 3. Deputy Secretary or Under Secretary (Administration), Central Government Health Scheme - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/01/2015-CGHS-I]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 13.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सहायक डिपो प्रबंधक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, सहायक डिपो प्रबंधक, समूह "ख" पद, भर्ती नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।
- निरर्हता - वह व्यक्ति-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार, का यह समाधान हो जाता कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह से अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियारतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम.	पद की संख्या.	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक डिपो प्रबंधक	44* (2026) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, अहमदाबाद-01; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना,	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसूचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

	बेंगलुरु- 01; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, भोपाल-01; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, भुवनेश्वर- 01; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चंडीगढ़-01; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई- 02; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, देहरादून-01 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली-14; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, गुवाहाटी-01; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद-03; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर- 01; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर- 01; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर-01; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकाता- 03; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लखनऊ-01;				
--	---	--	--	--	--

	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मेरठ-01; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई-03; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर-01; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पटना-01; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पुणे- 01; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, प्रयागराज-01 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, रांची-01; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, शिलांग-01 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, त्रिवेन्द्रम-01 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत अभ्यर्थियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) में ऐसे वरिष्ठ भेषजज्ञ (एलोपैथी) जिन्होंने श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रशासन (कार्य का विषय / क्षेत्र उच्च पद के कर्तव्यों / जिम्मेदारियों के लिए सुसंगत) में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण: जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी अर्हक या पात्रता सेवाओं के आधे से अधिक या दो साल से अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से कम न हों, जो भी कम हो और अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर निदेशक, संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर या अपर निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) - अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर -सदस्य;	
3. संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर के प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना या संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर के अपर निदेशक द्वारा नामित संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर का समूह 'ए' अधिकारी - सदस्य।	

[फा. सं. A-12018/01/2015-CGHS-I]

गणेश कुमार, अवसर सचिव

New Delhi, the 27th January, 2026

G.S.R. 13.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Depot Manager, in the Central Government Health Scheme Organisation, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Assistant Depot Manager, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Depot Manager.	44* (2026) Central Government Health Scheme, Ahmedabad- 01 Central Government Health Scheme, Bengaluru - 01 Central Government Health Scheme, Bhopal - 01 Central Government Health Scheme, Bhubaneswar-01	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial.	Level - 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Selection.	Not applicable.

Central Government Health Scheme, Chandigarh –01				
Central Government Health Scheme, Chennai–02				
Central Government Health Scheme, Dehradun –01				
Central Government Health Scheme, Delhi –14				
Central Government Health Scheme, Guwahati–01				
Central Government Health Scheme, Hyderabad–03				
Central Government Health Scheme, Jabalpur –01				
Central Government Health Scheme, Jaipur–01				
Central Government Health Scheme, Kanpur –01				
Central Government Health Scheme, Kolkata –03				
Central Government Health Scheme, Lucknow–01				
Central Government Health Scheme, Meerut–01				
Central Government Health Scheme, Mumbai –03				
Central Government Health Scheme, Nagpur –01				
Central Government Health Scheme, Patna –01				
Central Government Health Scheme, Pune–01				
Central Government Health Scheme, Prayagraj –01				
Central Government Health Scheme, Ranchi - 01				
Central Government Health Scheme, Shillong –01				
Central Government Health Scheme, Trivendrum - 01				
* Subject to variation dependent on workload.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion from Senior Pharmacists (Allopathic) in the level-7 of the pay matrix (Rs.44900-142400) with two years regular service in the

				grade and having successfully completed two weeks training in administration (subject/area of work relevant to duties/responsibilities of higher post). Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility services, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	--	--	--	---

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Director, concerned Central Government Health Scheme city - Chairman ; or Additional Director Central Government Health Scheme (Headquarter) 2. Chief Medical Officer, concerned Central Government Health Scheme city - Member ; 3. Administrative Officer, Establishment concerned Central Government Health Scheme city or a Group 'A' officer of concerned Central Government Health Scheme city as nominated by Additional Director of concerned Central Government Health Scheme city - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/01/2015-CGHS-I]

GANESH KUMAR, Under Secy.

विद्युत मंत्रालय

(केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (अधीनस्थ कार्यालय) अनुसचिवीय समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1992, आशुलिपिक श्रेणी-I (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालयों का काडर) भर्ती नियम, 1997 तथा ज्येष्ठ निजी सहायक (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालयों का काडर) भर्ती नियम, 1997 को, जहां तक उनका संबंध प्रधान लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी-I तथा ज्येष्ठ निजी सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालयों के लिए प्रधान

लिपिक तथा आशुलिपिक श्रेणी-I तथा निजी सचिव के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय, (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालयों का काडर), समूह 'ख' (राजपत्रित और अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. लागू होना.- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद- संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जैसा कि पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. अयोग्यता.- कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रधान लिपिक	2*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव।	सामान्य केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय, अराजपत्रित, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (रु. 35,400-1,12,400/-)।	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत प्राप्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25,500-81,100 ₹.) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक, जिन्होंने श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिक का पद धारण करने वाले विद्यमान पदधारियों के लिए पात्रता सेवा, प्रधान लिपिक की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पांच वर्ष बनी रहेगी। टिप्पण 2: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, कम न किया हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य; 4. अवर सचिव (कार्मिक), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण - अध्यक्ष; 2. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य; 4. अवर सचिव (कार्मिक), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. आशुलिपिक श्रेणी-I	2*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा अनुसचिवीय, अराजपत्रित, समूह, 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (₹. 35,400-1,12,400)।	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत प्राप्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा:- वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (रु.25500-81100/-) में आशुलिपिक श्रेणी-II, जिन्होंने श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ और समय-समय पर विभाग द्वारा विहित क्षेत्रों में न्यूनतम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, कम न हों और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.) या समकक्ष में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए लोग प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. सचिव, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - अध्यक्ष; 2. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य; 4. अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. सचिव, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - अध्यक्ष; 2. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य; 4. अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. निजी सचिव	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, अनुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (रु. 44,900-1,42,400/-)।	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत प्राप्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.) में आशुलिपिक श्रेणी I, श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और समय-समय पर विभाग द्वारा विहित क्षेत्रों में न्यूनतम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, कम न हों और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल -6 (35,400-1,12,400 रु.) या समकक्ष में आशुलिपिक ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा की हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति 1. सदस्य (ग्रिड परिचालन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - अध्यक्ष; 2. मुख्य अभियंता (लोड डिस्पैच), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय - सदस्य; 4. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा. सं. ए-12018/02/2021-प्रशा.]

हरीश भंडारी, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER**(Central Electricity Authority)**

New Delhi, the 21st January, 2026

G.S.R. 14.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministerial (Group 'C') posts of Central Electricity Authority (Subordinate Offices) Recruitment Rules, 1992, the Stenographer Grade-I (Cadre of Subordinate offices of Central Electricity Authority) Recruitment Rules, 1997, and the Senior Personal Assistant (Cadre of Subordinate offices of Central Electricity Authority) Recruitment Rules, 1997, in so far as they relate to the posts of Head Clerk, Stenographer Grade-I and Senior Personal Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Head Clerk and Stenographer Grade-I and Private Secretary for the subordinate offices of the Central Electricity Authority, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Power, (Cadre of Subordinate offices of the Central Electricity Authority), Group B (Gazetted and Non-Gazetted posts), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, level in the pay matrix. - The number of the posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled castes, Scheduled tribes, Other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	No of posts.	Classification.	Pay level in the pay matrix.	Whether selection post / non- selection post.	Age limits for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Head Clerk.	2*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Service Ministerial, Non-Gazetted, Group, 'B'	Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400/-) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.		Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)		(13)
By promotion: Upper Division Clerk in Level 4 (Rs.25,500-81,100/-) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and having successfully completed minimum two weeks' training in relevant field as prescribed by competent authority. Note 1: Eligibility service for existing incumbents holding the post of Upper Division Clerk on regular basis on the date of notification of these rules shall continue to be five years for promotion to the grade of Head Clerk. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half or such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with	Departmental promotion committee (for considering promotion) consists of: 1. Secretary, Central Electricity Authority -Chairperson; 2. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Power -Member; 3. Director (Administration), Central Electricity Authority -Member; 4. Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority - Member.	Departmental confirmation committee (for considering confirmation) consists of: 1. Secretary, Central Electricity Authority -Chairperson; 2. Director/ Deputy Secretary (Administration), Ministry of Power -Member; 3. Director (Administration), Central Electricity Authority -Member; 4. Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.			
--	--	--	--

Name of post.	No of posts.	Classification.	Pay level in the pay matrix.	Whether selection post/non-selection post.	Age limits for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Stenographer Grade-I.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Ministerial, Non-Gazetted, Group, 'B'	Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Department promotion committee exists, what is its composition.		Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)		(13)
By promotion:- Stenographers Grade II in level-4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix with ten years of regular service in the grade and having successfully completed minimum two weeks' training in the areas as prescribed by the department from time to time. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental promotion committee (for considering promotion) consists of: 1. Secretary, Central Electricity Authority – Chairperson ; 2. Director/ Deputy Secretary (Administration), Ministry of Power –Member ; 3. Director (Administration), Central Electricity Authority – Member ;	Departmental confirmation committee (for considering confirmation) consists of: 1. Secretary, Central Electricity Authority – Chairperson; 2. Director/ Deputy Secretary (Administration), Ministry of Power –Member; 3. Director (Administration), Central Electricity Authority – Member; 4. Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

By deputation: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; Or (ii) with ten years regular service in level-4 (Rs.25,500-81,100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	4. Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority — Member.		
--	--	--	--

Name of post.	No of posts.	Classification.	Pay level in the pay matrix.	Whether selection post / non-selection post.	Age limits for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Private Secretary.	1*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Ministerial, Gazetted, Group, 'B'	Level-7 (Rs. 44,900-1,42,400/-) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By promotion: Stenographers Grade I in level-6 (Rs. 35,400-1,12,400/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed minimum two weeks' training in the areas as prescribed by the department from time to time. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By deputation: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the Stenographers grade in Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Departmental promotion committee 1. Member (Grid Operations), Central Electricity Authority – Chairperson; 2. Chief Engineer (Load Dispatch), Central Electricity Authority – Member; 3. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Power – Member; 4. Director (Administration), Central Electricity Authority – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/02/2021-Adm. I]

HARISH BHANDARI, Under Secy.